संशोधन आदेश

संख्या- 88 /2018 / 1566 /चार-2018 -59 (बजट)/ 2018

प्रेषक,

लुटावन राम
उप सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 13 जून, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में संत कबीर अकादमी की स्थापना आदि कार्य हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 13 जून , 2018 में आशिंक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-87/2018/1533/चार-2018-59(बजट)/2018 दिनांक 13 जून, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-87/2018/1533/चार-2018-59(बजट)/2018 दिनांक 13 जून, 2018 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित **अंश " चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 " के स्थान पर " चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 ,** पढा जाय।

3- शासनादेश संख्या-87/2018/1533/चार-2018-59(बजट)/2018 दिनांक 13 जून, 2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(लुटावन राम)
उप सचिव

संख्या- 88 /2018/ 1566 /चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद , नीलिगिरी काम्पलेक्स इन्दिरानगर लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4,
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/